रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 07, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 07, 2019/JYAISTHA 17, 1941

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

सा.का.नि. 411(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **कंपनी (निगमन)** नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **कंपनी (निगमन)** छठा संशोधन नियम, 2019 है।

(2**) ये 15 अगस्त, 2019 को प्रवृत्त होंगे।**

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 19 में,—

(i) उप-नियम (1) में, "प्ररूप संख्या आईएनसी.12" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई)" शब्द, अक्षर और अंक रख जाएंगे।

(ii) उपनियम (3) में,

(क) खंड (क) में "संगम ज्ञापन प्रारूप" शब्दों के स्थान पर "संगम ज्ञापन" रखा जाएगा।

(ख) खंड (ख) में, "संगम ज्ञापन प्रारूप" शब्दों के स्थान पर "संगम ज्ञापन" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों के उपाबंधों में,

(i) प्ररूप संख्या आई.एन.सी.- 11 में, शीर्षक में, "धारा 7 की उपधारा (2)" शब्दों और अंकों के बाद "और धारा 8 की उपधारा (1)" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) "प्ररूप संख्या आई.एन.सी.-12" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा,

प्ररूप संख्या आईएनसी-12
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(5) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

धारा 8 के अधीन विद्यमान कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी
प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. * (क) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _____ (पूर्व पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन) _____

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी का पता

(ग) कंपनी का ई-मेल आईडी _____

3. (क) कंपनी है

(ख) श्रेणी (ग) उप-श्रेणी

(घ) क्या कंपनी की अंश पूंजी है O हां O नहीं

4. I. कंपनी की प्राधिकृत पूंजी

II. सदस्यों की अधिकतम संख्या

वर्तमान और विगत कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या

5. क. कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाग

मुख्य प्रभाग का विवरण

* ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई पहले ही किया गया हो या धारा 8 के अनुसरण में किया जाना प्रस्तावित हो

* ग. आधार जिन पर आवेदन किया गया है

6. * निदेशकों की संख्या प्रविष्ट करें

(यदि कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है तो दो निदेशकों या यदि कंपनी कोई पब्लिक कंपनी है तो तीन निदेशकों की सूचना विनिर्दिष्ट करें)

IndiaCode

निदेशकों का ब्यौरा

I.

* पदनाम

* निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) (पूर्व पूरित)

व्यक्ति का नाम

उस कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त व्यक्ति है

(केवल नामनिर्देशिती निदेशक के मामले में)

II

* पदनाम पूर्व पूरित

* निदेशक पहचान संख्या (डिन) पूर्व पूरित

व्यक्ति का नाम

उस कंपनी अथवा संस्था का नाम जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त व्यक्ति है

(केवल नामनिर्देशिती निदेशक के मामले में)

7.* प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की संख्या प्रविष्ट करें

(चार प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों तक की सूचना विनिर्दिष्ट करें)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा

* पदनाम पूर्व पूरित

* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)

व्यक्ति का नाम

सदस्यता संख्या (कंपनी सचिव की दशा में)

II

* पदनाम

* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) पूर्व पूरित

व्यक्ति का नाम

सदस्यता संख्या (कंपनी सचिव की दशा में)

IndiaCode

8. (क) * क्या अनुच्छेदों की छँटनी की गई है □ हाँ □ नहीं

(यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेदों को उसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए)

(ख) ऐसे अनुच्छेद की संख्या जिसपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे

ऐसे अनुच्छेदों के ब्योरे जिनपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु

संलग्न करें

IndiaCode

संलग्नक

1) * संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद — संलग्न करें
2) * प्ररूप सं. आई. एन. सी. 14 के अनुसार घोषणा — संलग्न करें
3) * प्ररूप सं. आई. एन. सी. 15 के अनुसार घोषणा — संलग्न करें
4) * अगले तीन वर्षों के लिए अनुमानित आय और व्यय — संलग्न करें
5) संबंधित प्राधिकारी / सेक्टोरल विनियामक, केंद्रीय या राज्य सरकार (रों) के विभाग या मंत्रालय का अनुमोदन / सहमति / निराक्षेप प्रमाण पत्र — संलग्न करें
6) छँटनी किए गए संगम अनुच्छेद — संलग्न करें
7) आम सभा और बोर्ड बैठक में पारित संकल्प की प्रति — संलग्न करें
8) पिछले एक / दो वर्ष के वित्तीय विवरण(णों), बोर्ड रिपोर्ट(र्टों) और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट(र्टों) की प्रति — संलग्न करें
9) लागू नियम के अनुसार आस्तियों और दायित्वों संबंधी विवरण उनके मूल्य सहित — संलग्न करें
10) निदेशकों की सूची — संलग्न करें
11) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की सूची — संलग्न करें
12) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो — संलग्न करें

घोषणा

मैं *

□ तारीख संकल्प सं. द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत,

□ घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

☐ *मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में संलग्नकों सहित इसमें दी गई सभी सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

☐ *यह और प्रमाणित किया जाता है कि, जिसकी सदस्यता संख्या है और प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण-पत्र है, को धारा 8(5) और (ख) और नियम 20(2)(ख) के अधीन घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है।

* **द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाने हेतु** डी.एस.सी. बॉक्स

* पदनाम

* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या
प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी का पैन या डीआईएन

टिप्पण : धारा 7(5) और 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई गलत या असत्य विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत बयान और गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।

उपांतरित करें | प्ररूप की जाँच | पूर्व संवीक्षा | प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए :
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दि.दि. / मास / वर्ष)
यह ई-प्ररूप स्वीकृत किया जाता है
यह ई-प्ररूप अस्वीकृत किया जाता है..... [प्रस्तुति की पुष्टि करें]
हस्ताक्षर की तारीख (दिन / महीना / वर्ष)।"।

(iii) प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई प्ररूप) में,—

(क) शीर्षक में, "धारा 4, 7, 12,152 और 153 के अनुसरण में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 4, 8(1), 7, 12, 152 और 153 के अनुसरण में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 1 में, उपमद "(छ) धारा 8 लाइसेंस संख्या" का लोप किया जाएगा।

(ग) संलग्नकों में, मद संख्या 19 के बाद, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किए जाएंगे।

"20. प्ररूप संख्या आई.एन.सी.- 14 में घोषणा;

21. प्ररूप संख्या आई.एन.सी.- 15 में घोषणा;

22. वैकल्पिक संलग्नक, (यदि कोई है)।"।

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-V, पार्ट-I, खंड-III]
के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए:—

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि. 955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि. 49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि. 284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि. 708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि. 1219(अ)	18.12.2018
14.	सा.का.नि. 144(अ)	21.02.2019
15.	सा.का.नि. 180(अ)	06.03.2019
16.	सा.का.नि. 275(अ)	29.03.2019
17.	सा.का.नि. 332(अ)	25.04.2019
18.	सा.का.नि. 357(अ)	10.05.2019

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2019

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation)** Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and Commencement**.—(1) These rules may be called the **Companies (Incorporation)** Sixth Amendment Rules, 2019.

(2) **They shall come into force with effect from 15th August, 2019.**

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (herein after referred to as the said rules), in rule 19,—

(i) in sub-rule (1), for the words, letters and figures "Form No.INC.12", the words, letters and figures "Form INC-32 (SPICe)" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (3),

(a) in clause (a), for the words "the draft memorandum", the words "the memorandum" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "the draft memorandum", the words "the memorandum" shall be substituted;

3. In the Annexure to the said rules,—

(i) in Form no.INC-11, in the heading, after the words and figures "sub-section (2) of section 7", the words and figures "and sub-section (1) of section 8" shall be inserted.

(ii) For "Form No.INC-12", the following Form shall be substituted,

FORM NO. INC-12

[Pursuant to section 8(5) of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Application for grant of License to an existing company under section 8

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

IndiaCode

1.*(a) Corporate identity number (CIN) Pre fill

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of the company

(c) email ID of the company

3. (a) Company is

(b) Category (c) Sub category

(d) Whether the company is having share capital □ Yes □ No

4. I. Authorized capital of the company

II. Maximum number of members

Maximum number of members excluding present and past employees

5. a. Main division of industrial activity of the company

Description of the main division

*b. Brief description of the work, if any already done or proposed to be done in pursuance of section 8

*c. Grounds on which application is made

6.*Enter the number of directors

(Specify information of two directors in case the company is a private company or three directors in case the company is a public company)

Particulars of the directors

I

*Designation

*Director identification number (DIN) **Pre-fill**

Name of the person

Name of the company or institution whose nominee the appointee is (Only in case of nominee director)

II

*Designation

*Director identification number (DIN) **Pre-fill**

Name of the person

Name of the company or institution whose nominee the appointee is (Only in case of nominee director)

IndiaCode

7.*Enter the number of key managerial personnel

(Specify information of up to four key managerial persons)

Particulars of the key managerial personnel

I

*Designation **Pre-fill**

*Director identification number (DIN) or Income-tax permanent account number (PAN)

Name of the person

Membership number (in case of Company Secretary)

II

*Designation

*Director identification number (DIN) or **Pre-fill**

Income-tax permanent account number (PAN)

Name of the person

Membership number (in case of Company Secretary)

8. (a) *Whether the Articles are entrenched □ Yes □ No

(If yes, entrenched Articles should be annexed thereto)

(b) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Details of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Sr. No.	Article Number	Content

Attachments

1) * Memorandum and articles of association — Attach
2) *Declaration as per Form No. INC-14 — Attach
3) *Declaration as per Form No. INC-15 — Attach
4) *Estimated income and expenditure for next three years — Attach
5) Approval/concurrence/NOC of the concerned authority/sectoral regulator, department or Ministry of the Central or State Government(s) — Attach
6) Entrenched articles of association — Attach
7) Copy of resolution passed in general meeting and board meeting — Attach
8) Last one/two year's financial statement(s), board's report(s) and Audit report(s) — Attach
9) Assets and liabilities statements with their values as per applicable rule — Attach
10) List of directors. — Attach
11) List of key managerial personnel.
12) Optional attachment, if any

IndiaCode

Declaration

I * []

authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number [] dated []

☐ declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the Rules thereto made thereunder in respect of the subject matter of this form have been complied with.

☐ *I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

☐ *It is hereby further certified that [] , a [] having Membership number [] and certificate of practice number [] has been engaged to give declaration under section 8(5) and rule 20(2) (b) and such declaration is attached.

***To be digitally signed by** DSC BOX

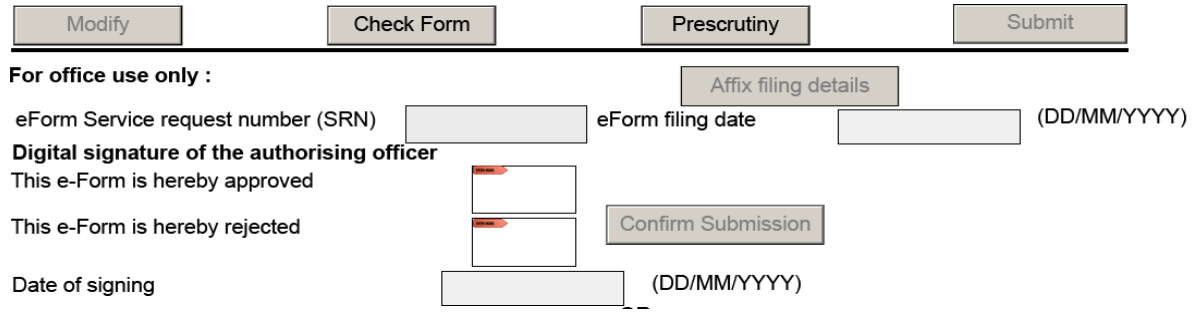
*Designation []

*Director identification number of the director; or

Membership number of the company secretary**;** or

PAN or DIN of the manager or CEO or CFO []

Note: Attention is drawn to provisions of Section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.



(iii) in Form No.INC-32 (SPICe form),—

(a) in the heading , for the words and figures "Pursuant to sections 4, 7, 12, 152 and 153", the words, figures and brackets "pursuant to sections 4, 8(1), 7, 12, 152 and 153" shall be substituted;

(b) in serial number 1, item "(g) Section 8 license number" shall be omitted.

(c) in attachments, after item no.19, the following item shall be inserted.

"20. Declaration in Form No.INC-14;

21. Declaration in Form No.INC-15;

22. Optional attachment(s), (if any).".

[F. No. 1/13/2013-CL-V, Part-I, Vol.III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R. 336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R. 743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R. 936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R. 1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R. 284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R. 708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R. 1219 (E)	18-12-2018
14.	G.S.R. 144 (E)	21-02-2019
15	G.S.R. 180 (E)	06-03-2019
16	G.S.R. 275(E)	29-03-2019
17	G.S.R. 332(E)	25-04-2019
18	G.S.R. 357 (E)	10-05-2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.08 10:39:22 +05'30'